

FORM NO. III




फर्दअहकाम
(नियम- 26)

अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना


वादी/वादीगण चौथाराम पुत्र प्रभूराम जाति माली निवासी उण्डेलनगर, मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा	बनाम प्रतिवादी/प्रतिवादीगण 1 ढलाराम पुत्र प्रभूराम जाति माली निवासी उण्डेलनगर, मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरा (22) 23 शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा मिठौड़ा 24 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना
--	--

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-38/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01.05.2024	वादी चौथाराम की ओर से वकील श्री गणपतसिंह गोलिया ने यह वाद पत्र प्रतिवादी ढलाराम वगैरा के विरुद्ध धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.07.2024 को पेश हो।  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
02.07.24	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठाचीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इत्थन होकर पत्रावली दिनांक.....04.07.24 को पेश हो। 	
04.07.24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के मोतिम रजिस्ट्री खर्च सहित पेश करे, सम्मन पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.07.2024 को पेश हो।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	
11.07.24	पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय में वादी व उनके वकील को पृथक-पृथक समय में तीन-तीन बार आवाज दिलवाई गई, बावजूद वादी व उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा वादी का वाद वादी व उनके वकील के अदम हाजरी व अदम पैरवी में रवारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।	




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना